# अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

01. **क्या आयु के आधार पर हिंदी के प्रशिक्षण से कार्मिकों को छूट दी जाती है?**

जी नहीं, आयु के आधार पर हिंदी के प्रशिक्षण से किसी भी कार्मिक को छूट प्राप्त नहीं है। (का.ज्ञा. सं. 11016/10/87/-रा.भा.(घ), दिनांक 23-09-1987)

02. **मेरी मातृभाषा बंगला है। क्या मुझे प्रबोध पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा?**

जी नहीं, मातृभाषा के आधार पर किए गए वर्गीकरण के अनुसार बंगला भाषी कार्मिक प्रवीण प्रशिक्षण के पात्र हैं।

(का.ज्ञा.सं. 14034/3/87/-रा.भा.(घ), दिनांक 07-09-1987) एवं (का.ज्ञा.सं. 12012/1/89/-रा.भा.(घ), दिनांक 23-02-1989)

03. **हिंदी शिक्षण योजना द्वारा संचालित कक्षाओं में प्रशिक्षण हेतु जाने वाले कार्मिकों के यात्रा व्यय का भुगतान किस के द्वारा किया जाता है?**

हिंदी शिक्षण योजना के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्मिकों के यात्रा व्यय का भुगतान संबंधित कार्मिक के कार्यालय द्वारा किया जाता है।

(का.ज्ञा.सं. 11016/16/88/-रा.भा.(घ), दिनांक 20-04-1989)

04. **क्या वर्ग 'घ' से वर्ग 'ग' में आए सभी कार्मिकों के लिए हिंदी भाषा का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है?**

वर्ग 'घ' से वर्ग 'ग' में आए ऐसे कार्मिक जो वर्ग 'ग' के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, को पात्रतानुसार हिंदी भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।

(का.ज्ञा.सं. 114034/30/2009/-रा.भा.(प्रशि.), दिनांक 06-01-2010)

05. **हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात दिए जाने वाले वैयक्तिक वेतन की अवधि क्या है?**

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात कार्मिकों को 12 माह की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है और उस पर महंगाई भत्ता देय नहीं है।

(का.ज्ञा.सं. 12016/2/78/- रा.भा.(घ), दिनांक 10-01-79)
(का.ज्ञा.सं. 12014/2/76/- रा.भा.(घ), दिनांक 02-09-76)

06. **मैं उड़िया भाषी हूं। क्या प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मुझे प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा?**

जी नहीं, उड़िया भाषी प्रवीण प्रशिक्षण के पात्र हैं। यदि कोई कार्मिक स्वैच्छिक तौर

पर प्रशिक्षण लेता है तो उसे प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(का.ज्ञा.सं. 14034/3/87/-रा.भा.(घ), दिनांक 07-09-1987) एवं (का.ज्ञा.सं. 12012/1/89/-रा.भा.(घ), दिनांक 23-02-1989)

07. **क्या ऐसे कार्मिक भी एक वर्ष के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार हैं जिनके लिए प्रबोध पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित है।**

जी हाँ, जिन अराजपत्रित कार्मिकों के लिए प्रबोध पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित है और वे इस परीक्षा को 55% या अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण करते हैं, वे कार्मिक ही एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार हैं। राजपत्रित अधिकारियों को प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन नहीं दिया जाता। (का.ज्ञा.सं. 12016/2/78/- रा.भा.(घ), दिनांक 10-01-79) एवं (का.ज्ञा.सं. 12014/2/76/- रा.भा.(घ), दिनांक 02-09-76)

08. **क्या ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जिनके लिए प्रवीण पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित है, 55% या अधिक अंक लेकर परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार हैं।**

जी नहीं, वैयक्तिक वेतन पाने के लिए राजपत्रित अधिकारी को 60% या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। (का.ज्ञा.सं. 12016/2/78/- रा.भा.(घ), दिनांक 10-01-79) एवं (का.ज्ञा.सं. 12014/2/76/- रा.भा.(घ), दिनांक 02-09-76)

09. **क्या हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार या प्रोत्साहन पुरस्कारों पर आयकर देय है?**

हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले नकद एवं एकमुश्त पुरस्कारों पर आयकर से छूट प्राप्त है।

(का.ज्ञा.सं. 24/18/87- आई.टी./ए.आई., दिनांक 31/03/87)

10. **हिंदी शिक्षण योजना की शनिवार/रविवार को आयोजित होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने पर क्या प्रशिक्षार्थियों को प्रतिपूरक अवकाश दिया जाएगा?**

जी हाँ, शनिवार या रविवार को आयोजित होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने पर प्रतिपूरक अवकाश दिया जाता है।

11. **हमने अपने कार्यालय में कुछ कर्मचारी संविदा/तदर्थ (contract/adhoc) आधार पर नियुक्त किए हैं। क्या नियमानुसार उन्हें भी हिन्दी प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है?**

जी नहीं, संविदा/तदर्थ आधार पर नियुक्त कार्मिकों को नियमानुसार हिंदी प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता।(का.ज्ञा. सं. 12011/12/82-राभा(घ) दिनांक-08/02/1984)

12. **अल्पावधि पूर्ण कार्यदिवसीय गहन हिंदी भाषा प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की अवधि क्या है?**

अल्पावधि पूर्ण कार्यदिवसीय गहन हिंदी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि निम्नानुसार है:-

| | | |
|---|---|---|
| क. | प्रबोध | 25 दिन |
| ख. | प्रवीण | 20 दिन |
| ग. | प्राज्ञ | 15 दिन |
| घ. | पारंगत | 20 दिन |

(कार्यालय ज्ञापन - प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ के लिए)

(का.ज्ञा. सं. 12012/03/2015-राभा (नीति) दिनांक- 22/04/2015)

13. **संस्थान द्वारा संचालित अल्पावधि पूर्ण कार्यदिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम के कितने सत्र होते हैं?**

संस्थान द्वारा संचालित अल्पावधि पूर्ण कार्यदिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम के वर्ष में तीन सत्र होते हैं।

14. **अल्पावधि पूर्ण कार्यदिवसीय प्रशिक्षण के लिए नामित प्रशिक्षार्थियों के लिए क्या छात्रावास की व्यवस्था है?**

अल्पावधि पूर्ण कार्यदिवसीय प्रशिक्षण के लिए नामित प्रशिक्षार्थियों के लिए दिल्ली में छात्रावास की व्यवस्था की गई है।

15. **हिंदी भाषा पत्राचार पाठ्यक्रम की अवधि क्या है और इसका सत्र कब प्रारंभ होता है?**

हिंदी भाषा पत्राचार पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष है। इसका सत्र जुलाई माह से प्रारंभ होता है और मई माह में परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है।

(कार्यालय ज्ञापन)

16. **क्या हिंदी भाषा पत्राचार पाठ्यक्रम के अंतर्गत भेजे गए उत्तर पत्रों को भरकर भेजना अनिवार्य है?**

जी हां, हिंदी भाषा पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ के परीक्षार्थियों को उत्तर पत्र भरकर आंतरिक मूल्यांकन हेतु भेजने अनिवार्य हैं।(कार्यालय ज्ञापन)

17. **हिंदी भाषा पत्राचार पाठ्यक्रम में आने वाली कठिनाइयों का समाधान किस प्रकार**

**किया जाता है?**

हिंदी भाषा पत्राचार पाठ्यक्रम में आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु देशभर में प्रशिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(कार्यालय ज्ञापन)

18. **हिंदी भाषा पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम कहां-कहां आयोजित किए जाते हैं?**

हिंदी भाषा पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम प्रशिक्षार्थियों की संख्या के आधार एवं कार्यालयों की मांग पर उनके कार्यालय परिसर में आयोजित किए जा सकते हैं। (कार्यालय ज्ञापन)

19. **क्या पत्राचार पाठ्यक्रम के आंतरिक मूल्यांकन में पास होना अनिवार्य है?**

जी हां, पत्राचार के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कार्मिकों को उत्तर पत्रों के आधार पर दिए गए आंतरिक मूल्यांकन में पास होना अनिवार्य है।

(कार्यालय ज्ञापन)

20. **क्या पत्राचार पाठ्यक्रम के व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम में भाग लेने वाले कार्मिकों को ड्यूटी पर तैनात माना जाएगा?**

जी हां, ऐसे कार्मिकों को ड्यूटी पर तैनात माना जाएगा एवं उनके यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति उनके कार्यालय द्वारा की जाएगी।

21. **मैं भाषा पत्राचार प्राज्ञ के उत्तरपत्र (रिस्पांस शीट) भर कर नहीं भेज पाता, लेकिन परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण हो जाता हूं तो क्या मुझे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा या उत्तर पत्र बाद में भेजने पर उत्तीर्ण किया जा सकता है?**

जी नहीं, उत्तरपत्र न भेजने या देरी से भेजने के कारण प्रशिक्षार्थी प्रश्नपत्र 'तीन' में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। लेकिन प्रश्नपत्र 'एक' एवं 'दो' में उत्तीर्ण होने पर परीक्षार्थियों को पुन: परीक्षा नहीं देनी होगी, अपितु प्रश्नपत्र 'तीन' की मौखिक परीक्षा ली जाएगी क्योंकि बाद में भेजे गए उत्तर पत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाता। (का.ज्ञा. सं.-15/02/2016/उ.नि.(परीक्षा)/1022 दिनांक-09/05/2016)

22. **हिंदी भाषा पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्मिकों के लिए क्या-क्या प्रोत्साहन योजनाएं हैं?**

हिंदी भाषा पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्मिकों के संबंध में माना जाता है कि वे अपना प्रशिक्षण निजी प्रयत्नों से ले रहे हैं, अतः वे हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर नियमानुसार नकद पुरस्कार एवं वैयक्तिक वेतन के अतिरिक्त एकमुश्त पुरस्कार के भी पात्र होते हैं।

(कार्यालय ज्ञापन सं. 21034/66/2010-रा.भा.(प्रशि.)दिनांक-29/07/2011)

23. **केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित 5 पूर्ण कार्य दिवसीय गहन हिंदी कार्यशालाओं में कौन से कार्मिक प्रशिक्षण ले सकते हैं?**

जिन कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, वे इन कार्यशालाओं में भाग लेने के पात्र हैं। (संदर्भ)

24. **अभिमुखी कार्यक्रमों का संचालन किन कार्मिकों के लिए किया जाता है?**

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन/ अनुवाद से जुड़े संयुक्त/ उप/ सहायक निदेशक (राजभाषा) हिंदी अधिकारी, उप/ सहायक प्रबंधक (राजभाषा) इन कार्यक्रमों में भाग लेने के पात्र हैं। (संदर्भ)

25. **केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से क्या अभिप्राय है?**

भारत सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के ऐसे संकाय सदस्य जो अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण दे रहे हैं पर जिन्हें हिंदी भाषा के माध्यम से प्रशिक्षण देने में कठिनाई हो रही है, वे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के पात्र हैं।

26. **क्या हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना द्वारा किसी अग्रेतर पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है?**

जी हां, हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों के लिए हिंदी में दक्षता प्राप्त करने हेतु अभ्यास पर आधारित 'पारंगत पाठ्यक्रम' की व्यवस्था की गई है।

(का.ज्ञा. सं. 12012/03/2015-राभा (नीति) दिनांक- 22/04/2015)

27. **किस परीक्षा के बाद पारंगत पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जा सकता है?**

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना द्वारा संचालित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले या कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिक पारंगत पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। (का.ज्ञा. सं. 12012/03/2015-राभा (नीति) दिनांक- 22/04/2015)

28. **यदि किसी ने मैट्रिक में हिंदी एक विषय के रूप में लेकर या हिंदी माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण की है तो क्या वह पारंगत में प्रवेश ले सकता है?**

जी हां, यदि किसी ने मैट्रिक में हिंदी एक विषय के रूप में लेकर या हिंदी माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वह 'पारंगत' पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है।

(का.ज्ञा. सं. 12012/03/2015-राभा (नीति) दिनांक- 22/04/2015)

29. **क्या पारंगत पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण पत्राचार द्वारा भी दिया जा रहा है?**

जी नहीं, 'पारंगत पाठ्यक्रम' अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम है और इसका प्रशिक्षण वर्तमान में पत्राचार माध्यम से नहीं दिया जा रहा है।

30. **'पाँच दिवसीय: (कक्षा में पढ़ाई के) अल्पावधि- प्रशिक्षण कार्यक्रम' किन क्षेत्रों में संचालित किए जा रहे हैं?**

ये कार्यक्रम किसी क्षेत्र विशेष में नहीं अपितु विभिन्न कार्यालयों की मांग के अनुसार, उनके कार्यालय परिसर में ही आयोजित किए जा रहे हैं।

(कार्यालय ज्ञापन सं. 7/7/2016-हि.शि.यो.(मु.))

31. **हमारे कार्यालय के एक कार्मिक ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'हिंदी प्रमाण पत्र' और 'हिंदी डिप्लोमा' उत्तीर्ण किया है। क्या उसे हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रमों को करना अनिवार्य है?**

जी नहीं, केन्द्रीय हिंदी निदेशालय के उक्त पाठ्यक्रमों को हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के समकक्ष माना जाता है।

32. **क्या बैंक कार्मिकों के लिए प्रबोध और प्रवीण के पाठ्यक्रम भी अलग से बनाए गए हैं?**

जी नहीं, बैंक कार्मिकों के लिए प्रबोध और प्रवीण के पाठ्यक्रम हिंदी शिक्षण योजना के निर्धारित पाठ्यक्रम ही रहेंगे।

33. **क्या 'बैंकिंग हिंदी पाठ्यक्रम' एवं 'प्राज्ञ पाठ्यक्रम' का स्तर समान है?**

जी हां, दोनों का स्तर समान है। बैंकों के कार्मिकों के लिए विकल्प है कि वे किसी भी पाठ्यक्रम से प्रशिक्षण लेकर परीक्षा दे सकते हैं।

34. **हम अपने बैंक के कार्मिकों को 'बैंकिंग हिंदी पाठ्यक्रम' द्वारा प्रशिक्षण देना चाहते हैं, क्या हिंदी शिक्षण योजना द्वारा उनके लिए अलग से कक्षा चलाई जा सकती है?**

जी हां, यदि किसी स्थान पर बैंकिंग कर्मचारियों की संख्या 30 या इससे अधिक होगी तो हिंदी शिक्षण योजना द्वारा उनके लिए अलग से कक्षा चलाई जा सकती है लेकिन इसके लिए बैंकों को राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया प्रशिक्षण शुल्क देना होगा।

(कार्यालय ज्ञापनसं. 11017/2/1992राभा(ध) दिनांक 15/06/1992)

35. **क्या 'बैंकिंग हिंदी पाठ्यक्रम' पुस्तक भी हिंदी शिक्षण योजना द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी?**

जी नहीं, 'बैंकिंग हिंदी पाठ्यक्रम' पुस्तक हिंदी शिक्षण योजना द्वारा निशुल्क

उपलब्ध नहीं कराई जाती। बैंक केंद्रीय हिंदी संस्थान, शीतला रोड, आगरा - 282995 से निर्धारित मूल्य देकर पुस्तकें मंगवा सकता है।

36. **हमारे बैंक के चार कार्मिक हिंदी शिक्षण योजना के मौजूदा केंद्र पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। क्या उन कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण शुल्क देय होगा?**

जी नहीं, हिंदी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण पाने वाले बैंक कार्मिकों को कोई प्रशिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।

(कार्यालय ज्ञापन सं.-11017/2/92-राभा(घ) दिनांक - 05/06/1992)

37. **क्या भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/ निगमों/ बैंकों/ निकायों आदि से आने वाले परीक्षार्थियों को पुस्तकें निशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं?**

जी हां, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/ निगमों/ बैंकों/ निकायों आदि से आने वाले परीक्षार्थियों को प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत पाठ्य पुस्तकें निशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।

(कार्यालय ज्ञापन सं. 12013/1/2005-रा.भा.(प्रशि) दिनांक -08/04/2005)

38. **हिंदी भाषा के पाठ्यक्रमों की परीक्षा हेतु फार्म भरने की अंतिम तिथि क्या है?**

हिंदी भाषा के पाठ्यक्रमों की परीक्षा हेतु फार्म भरने की अंतिम तिथि (जनवरी-मई सत्र) 15 फरवरी एवं (जुलाई-नवंबर सत्र) 16 अगस्त है।

(का.ज्ञा.-15/65/187-3.नि.(परीक्षा)/4106 दिनांक 20/07/1987)

39. **हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत परीक्षाओं का आयोजन वर्ष में कितनी बार किया जाता है?**

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत परीक्षाओं का आयोजन वर्ष में दो बार (प्रतिवर्ष मई / नवंबर के तीसरे चौथे सप्ताह में) किया जाता है। (का.ज्ञा.-15/65/187-3.नि.(परीक्षा)/4106 दिनांक 20/07/1987)

40. **क्या भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/ निगमों/ बैंकों/ निकायों आदि के प्रशिक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क देय है?**

भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/ निगमों/ बैंकों/ निकायों आदि के प्रशिक्षणार्थियों के लिए हिंदी भाषा के 'पारंगत' पाठ्यक्रम को छोड़कर अन्य सभी पाठ्यक्रमों के लिए सौ रुपए प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है।

(कार्यालय ज्ञापन सं. 21034/52/2010रा.भा.(प्रशि.) दिनांक- 14/12/2010)

41. **क्या परीक्षा शुल्क नकद या बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही अदा किया जा सकता है?**

परीक्षा शुल्क नकद अदा नहीं किया जा सकता। इसका भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या ऑनलाइन www.onlinesbi.com →State Bank Collect →State of Corporate/Institutions→ All India→ Type of Corporate/ Institution→ Govt. Dept.→ Hindi Teaching Scheme Dept. of official language MHA→ Hindi Teaching Scheme का चुनाव कर किया जा सकता है। भुगतान के बाद भुगतान रसीद की कॉपी उप निदेशक परीक्षा, हिंदी शिक्षण योजना पूर्वी खंड-7 तल-6 आरके पुरम, नई दिल्ली-110066 को भेजनी होती है।

42. **मैं प्रबोध परीक्षा प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में देना चाहता हूँ। क्या आवेदन पत्र सीधे परीक्षा शाखा में भेजा जा सकता है?**

जी नहीं, प्राइवेट प्रशिक्षार्थियों के भरे हुए आवेदन पत्र उनके कार्यालय प्रमुख द्वारा संबंधित उप निदेशक के माध्यम से परीक्षा शाखा को भेजे जाएंगे।

43. **मैं भाषा पत्राचार प्रवीण पाठ्यक्रम का प्रशिक्षार्थी हूं। किसी कारणवश परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सका। क्या मुझे पुन: भाषा पत्राचार में रजिस्ट्रेशन करवाकर एक वर्ष उपरांत परीक्षा देनी होगी?**

भाषा पत्राचार पाठ्यक्रम के वे प्रशिक्षार्थी जो किसी कारणवश मई में आयोजित परीक्षा नहीं दे पाए, वे प्राइवेट प्रशिक्षार्थी माने जाएंगे और उनके फॉर्म पुन: प्राइवेट प्रशिक्षार्थी के रूप में उनके कार्यालय प्रमुखों द्वारा सत्यापित कर क्षेत्रीय उपनिदेशकों के माध्यम से उपनिदेशक परीक्षा को भेजे जाएंगे और ऐसे प्रशिक्षार्थी नवंबर में आयोजित परीक्षा में भाग ले सकते हैं।

44. **हमारे कार्यालय के 15 कार्मिक पत्राचार के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं यहां हिंदी शिक्षण योजना का केंद्र या कार्यालय नहीं है। क्या हमारे कार्यालय में परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है?**

जी हां, यदि किसी स्थान पर 10 या 10 से अधिक प्रशिक्षार्थी उपलब्ध हैं, तो वहां मांग किए जाने पर परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है।

संबंधित कार्यालय ज्ञापन हेतु क्लिक करें)

45. **क्या हिंदी शिक्षण योजना के सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रशिक्षार्थी को ऑनलाइन परीक्षा देने की सुविधा उपलब्ध है?**

जी नहीं, वर्तमान में जिन प्रशिक्षण केंद्रों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाता है, वहीं के प्रशिक्षार्थियों के लिए या किसी कार्यालय विशेष की मांग पर ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाता है।

46. **मैं गुवाहाटी स्थित प्रशिक्षण केंद्र से हिंदी प्रवीण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूं लेकिन परीक्षा की तिथियों में मुझे चेन्नई जाना है। क्या मैं चेन्नई परीक्षा केंद्र से परीक्षा**

**दे सकता हूं?**

जी हां, परीक्षा केंद्र बदलने का प्रावधान है लेकिन इसके लिए परीक्षा स्कंध को परीक्षा से कम से कम एक माह पूर्व सूचित करना और उनसे अनुमति पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

47. **क्या पूरक परीक्षा प्रबोध 'एक' में अनुत्तीर्ण होने पर पुन: पूरक परीक्षा दी जा सकती है?**

जी नहीं, पूरक परीक्षा में यदि प्रशिक्षार्थी अपनी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता तो उसे पूरक परीक्षा परिणाम में पूर्णतया अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(का. ज्ञापन सं.- 15/2/2013/उ.नि.(परीक्षा)/1022 दिनांक 09/05/2016)

48. **हिंदी भाषा की परीक्षा के प्रश्न पत्र तीन (मौखिक/ आंतरिक मूल्यांकन) में मेरे 35% से कम अंक हैं लेकिन प्रश्न पत्र एक एवं दो में 70% से अधिक अंक हैं तो क्या मैं अनुत्तीर्ण माना जाऊंगा?**

तृतीय प्रश्न पत्र(आंतरिक मूल्यांकन/मौखिक) में 35 से कम अंक पाने वाले प्रशिक्षार्थियों को पुन: पूरक परीक्षा /मौखिक परीक्षा के रूप में देनी होगी।

(का. ज्ञापन सं.- 15/2/2013/उ.नि.(परीक्षा)/1022 दिनांक 09/05/2016)

49. **क्या परीक्षा के उत्तर पत्र की संवीक्षा करवाई जा सकती है? कृपया देय शुल्क एवं अवधि के बारे में बताएं।**

जी हां, परीक्षा के उत्तर पत्रों की संवीक्षा परीक्षा परिणाम घोषित होने के साठ दिनों के अंदर करवाई जा सकती है जिसके लिए ₹50/- शुल्क देय होगा।

(कार्यालय ज्ञापन- 21034/35/2007-रा.भा.(प्रशि.) दिनांक-16/08/2007)

50. **मैंने हिंदी शिक्षण योजना से प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण की थी लेकिन मेरा प्रमाण-पत्र अब नहीं मिल रहा है। क्या परीक्षा स्कंध नया प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है?**

जी हां, परीक्षा स्कंध को ₹25/- का शुल्क अदा कर नया प्रमाण पत्र जारी करवाया जा सकता है।

(कार्यालय ज्ञापन सं 14034/33/2004/रा.भा.(प्रशि.)दिनांक)

51. **क्या परीक्षा परिणाम ऑनलाइन निकाला जाता है?**

जी हां, परीक्षा परिणाम केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट http://chti.rajbhasha.gov.in/ 'परीक्षा परिणाम' शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाता है।